


53



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक

III/गिरानी/श्योपुर/भू.रा. 2018/0722

/2018 निगरानी (श्योपुर)

श्री. रम कं. राव. व. राव.
द्वारा आगत 27-1-18
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 8-2-18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
27-1-18

1. गुलजार सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह
2. जगतार सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह
3. श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह
समस्त निवासीगण-ग्राम गोठरा तहसील
कराहल, जिला श्योपुर, (म0प्र0)

—आवेदकगण

बनाम

1. रामपती पत्नी श्री रघुवीर जाति मीणा
2. काड़ी बेवा रामस्वरूप जाति रावत
3. शिवप्रसाद पुत्र प्रभूलाल जाति रावत
4. सुग्रीव पुत्र श्री प्रभूलाल जाति रावत
5. वृजेश पुत्र श्री प्रभूलाल जाति रावत
6. त्रिवेणीदेवी पुत्री श्री फुन्दीलाल
7. मिश्रीदेवी पुत्री श्री फुन्दीलाल
8. रमेश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
9. गायत्री पुत्री हरिप्रसाद
10. गिरधरगोपाल पुत्र श्री हरिप्रसाद
समस्त निवासीगण-ग्राम गोठरा तहसील
कराहल, जिला श्योपुर, (म0प्र0)
11. पिस्ताबाई पत्नी श्री सुरेश निवासी-ग्राम
जाखदा तहसील कराहल जिला श्योपुर,
12. संतोष पत्नी श्री दिलावर निवासी- ग्राम
सिलपुरी तहसील कराहल जिला श्योपुर,
13. लिथरु पुत्र श्री चेतू निवासी- ग्राम
जाखदा तहसील कराहल जिला श्योपुर,

3

-2-

14.म0प्र0 शासन

—अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 29/08/2017 को अपर कलेक्टर
जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण केनांक 10/12-13 स्वभेव
निगरानी में पारित किया।

3

-3-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-दो/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2018/0722

गुलजार आदि विरुद्ध रामपती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.सी. शर्मा एवं अनावेदक क्र. 14 की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 10/2012-13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-08-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-07-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: center;">(आर0के0 जैन) सदस्य 16.5.19</p>